संख्या-1577/15-7-16(32)/1999

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीत विहार दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 19 मार्च, 1999

विषय:- दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलन्दशहर को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलन्दशहर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) संस्था प्रबंध द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परिषद/परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(5) संस्था शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें निर्धारित की जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुरूप सेवा निवृत्ति का लाभ अवश्य प्रदान किये जायेंगे।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

PRINCIPAL CUM MANAGER
DELHI PUBLIC SCHOOL
BULANDSHAHR-203001 (U.P.)

(8) विद्यालय का शिक्षा निर्धारित शुल्क/दरों से लिया जायेगा ।

(9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि

(1) विद्यालय के उपयोगार्थ कम से कम एक एकड़ भूमि पर भवन का निर्माण कराकर कक्षायें संचालित की जाय ।

(2) शासनादेश दिनांक 30-11-91 में वर्णित प्रतिबन्धों की कार्यवाही का अनुपालन सुनिश्चित करायी जाय ।

(3) कैपिटेशन तथा डोनेशन शुल्क वसूल न किया जाय ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(सुशील गाँगुली)
संयुक्त सचिव ।

पृ०सं० 1577(1)/15-7-1999 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर ।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ ।
5- प्रबन्धक, दिल्ली पब्लिक स्कूल यमुनापुरम बुलन्दशहर ।

आज्ञा से,

(सुशील गाँगुली)
संयुक्त सचिव ।

PRINCIPAL CUM MANAGER
DELHI PUBLIC SCHOOL
BULANDSHAHR-203001 (U.P.)